महत्वपूर्ण / तत्काल

संख्या-03/2018/222/46-3-18-3(03)/2018

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2.समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 12 फरवरी, 2018**

विषय- गन्ना विभाग के अधीन प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों की भूमि व परिसम्पत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वर्तमान में शासन द्वारा विभिन्न स्तरों पर गठित एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स के माध्यम से ग्राम सभा व अन्य शासकीय भूमि/सम्पत्ति पर अवैध कब्जों की सूचना एवं उस पर भू-माफियाओं/अतिक्रमणकर्ताओं का चिन्हांकन कराते हुए, इनके विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से शासनादेश संख्या-616/1-2-2017-रा.-2-1(सामान्य)/2017, दिनांक 28 जुलाई, 2017 निर्गत किया गया है तथा भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही की नियमित समीक्षा एवं कृत कार्यवाही का विवरण एन्टी भू-माफिया पोर्टल पर अपलोड किये जाने आदि के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि गन्ना आयुक्त, उ.प्र. द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि गन्ना विभाग के अधीन प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों के कब्जे में वर्षों पुरानी कतिपय भूमि व परिसम्पत्तियाँ ऐसी हैं, जो विभिन्न कारणों से अभी तक सम्बन्धित गन्ना समितियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हो सकी हैं, जिसके कारण समितियों की ऐसी सम्पत्तियों को भू-माफियाओं/अनधिकृत तत्वों के द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा करने व परिसम्पत्तियों का दुरूपयोग किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत गन्ना समितियों की सम्पत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जानी आवश्यक है, जिससे भू-माफियाओं को गन्ना समितियों की सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा करने का अवसर न प्राप्त हो तथा शासन की प्राथमिकता के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना विभाग के अधीन प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों की भूमि व परिसम्पत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराये जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के सम्बन्ध में सम्बन्धित समितियों के अनुरोध व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही नियमानुसार जनपद/तहसील स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने एवं समिति की जिन परिसम्पत्तियों पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, उन्हें चिन्हित करते हुए सम्बन्धित परिसम्पत्तियों से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में भी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए कराने एवं पाक्षिक/मासिक अनुश्रवण भी जनपद/मण्डल स्तर पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-03/2018/222(1)/46-3-18-3(03)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ।
5. संयुक्त गन्ना आयुक्त (समितियाँ), कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ
6. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।